



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/3027.

दिनांक:- 20/06/2022

कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 03/2022 वीं बैठक दिनांक 17.06.2022 को उपायुक्त (उत्तर) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं:-

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :- जोन स्तरीय समिति की 02/2022 वीं बैठक दिनांक 20.05.2022 जोन उत्तर के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 1580, 1581, 1582 रकबा 28.06.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

- पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पैरा संख्या 5/एन पर पटवारी द्वारा की गयी रिपोर्ट अनुसार मौके पर 75 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है।
- जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 45810.34 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 46621.16 वर्गमीटर है।
- पत्रावली के पृष्ठ संख्या 30 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत खसरान् अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
- पत्रावली के पैरा संख्या 15 पर विधि रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1580, 1581 से संबंधित कोई वाद लम्बित नहीं है। खसरा संख्या 1582 के भूखण्ड संख्या 192 पर वाद लम्बित होने का उल्लेख है। साथ ही पत्रावली के पैरा संख्या 20/एन अनुसार जोन द्वारा दिनांक 20.05.2022 को प्रकरण के संबंध में प्राप्त आपत्ति खारिज की जा चुकी है। (निर्णय पृ.सं. 78 पर संलग्न)
- तहसीलदार जोधपुर की नवीन रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 79-80 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार पर 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
- आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जाना अपेक्षित है।
- जोन रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के आस-पास खसरा संख्या 1574, 1575 व 1576 करणी नगर बालसमन्द का ले-आउट प्लान अनुमोदित है।
- प्रकरण में पृष्ठ संख्या 33 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	30393.09	65.19
2.	पार्क	1100.34	02.36
3.	वृक्षारोपण पट्टी	1585.12	03.40
4.	सड़क	13542.61	29.05
	कुल	46621.16	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया:-

- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के कम में अतिरिक्त क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर पर स्वामित्व संबंधी जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 4 के कम में विधि शाखा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1582 के भूखण्ड संख्या 192 के संबंध में वाद लम्बित है। अतः उक्त भूखण्ड के संबंध में निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेंगा।
- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे।
- आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित नाले के सहारे-सहारे 30 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

05. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
06. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
07. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
08. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
09. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 802, 803 एवं समस्त बट्टा नम्बर रकबा 10.15.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पट्टवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 17401.48 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 18429.50 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 36, 37 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 802, 803 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 38 पर संलग्न विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 802, 803 के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 28-29 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जाना अपेक्षित है।
7. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 34 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार पूर्व में किये गए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट एवं आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट एवं नाले के सहारे 30 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	12393.84	67.25
2.	वृक्षारोपण पट्टी	1012.43	5.49
3.	सड़क व नाला	5023.23	27.26
	कुल	18429.50	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 के कम में अतिरिक्त क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर पर स्वामित्व संबंधी जांच कर नियमानुसार राशि वसूल की जावे।
02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे।
03. आवेदित भूमि के दक्षिण-दिशा में स्थित नाले के सहारे-सहारे 30 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे।
04. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
05. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
06. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
07. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
08. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1726 रकबा 09.02.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है। मौके पर विद्युत लाईन उपलब्ध है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 14730.55 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 11322.89 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1726 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 53 पर संलग्न विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1726 के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 43-44 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। पत्रावली के पैरा संख्या एन/13 में आई.एल.आर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर सड़क की चौड़ाई 30 फीट है एवम् पत्रावली में उक्त खसरे के पास 1732, 1733, 1734 ग्राम मण्डोर का ले-आउट प्लान अनुमोदित है।
6. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 51 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	7518.46	66.41
2.	सड़क	3804.43	33.59
	कुल	11322.89	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
02. विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेप्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे।
03. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
04. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
05. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 424 रकबा 06.02.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है। मौके पर विद्युत लाईन उपलब्ध है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 9874.32 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 10923.40 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 5-6 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 424 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
4. पत्रावली में विधि शाखा की रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 1-2 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, तथा पत्रावली में आई.एल.आर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 30 फीट मार्ग उपलब्ध है।
6. आई.एल.आर रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी में खसरा संख्या 424 का रकबा 06.02.00 बीघा है जबकि प्रस्तुत ले-आउट प्लान का रकबा 06.14.00 बीघा है।
7. पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्युत लाईन उपलब्ध है जिसके नीचे नियमानुसार सेप्टी कोरिडोर छोड़ा जाना अपेक्षित है।
8. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 25 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	6968.31	63.70

2.	सड़क	3955.15	36.02
	कुल	10923.40	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि के संबंध में विधि शाखा की नवीन रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 378/2 रकबा 03.12.00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

समिति को अवगत करवाया गया कि :-

1. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है। मौके पर विद्युत लाईन उपलब्ध है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 5827.47 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 6881.20 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 31 व 137 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 378/2, 378/2/1 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
4. पत्रावली में विधि शाखा की रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 144-145 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 150 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 149 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट एवं आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	4450.16	64.67
2.	सड़क	2431.04	35.33
	कुल	6881.20	100.00

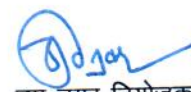
निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में जोन स्तर से स्थिति स्पष्ट किये जाने तथा विधि शाखा की नवीन रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

 तहसीलदार
 सहायक/अधिशायी अभियन्ता
 उप नगर नियोजक
 उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/3028-34.
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 20/06/2022

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त उत्तर, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर


उप नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोन स्तरीय समिति की 03/2022 वीं बैठक दिनांक 17.06.2022 को उपायुक्त (उत्तर) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री राजेश वर्मा, निदेशक आयोजना, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
2. श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
3. श्री संदीप माथुर, अधिशाषी अभियंता, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. श्री हरिश कुमार टाक, तहसीलदार जो.वि.प्रा. जोधपुर।
6. सुश्री प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।

विशेष आमंत्रित

संयोजक

सदस्य

सदस्य सचिव

सदस्य



उप नगर नियोजक

एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



SCALE: -1"=60'

S NO.	LANDUSE	AREA (SQ. YDS.)	AREA (SQ. MT.)	%
1.	RESIDENTIAL	8962.01	7518.46	56.33
2.	ROAD	4550.06	3904.43	28.33
3.	TOTAL SCHEME	13512.07	11322.89	100.00



JDA/Dir(A)/North/05 Date 01/07/22

एजेंडा संख्या	विषय
04	राजस्थान मण्डल के वसंत संख्या 1726 रकबा 09.02.00 बीछा भुवि पर आवासीय प्रयोजनार्थ से आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

स्थिति को अवगत करायमा गया कि :- 2.L.C Meeting Date : 17/06/22

- [illegible]

क्र.सं.	प्रयोजन	रशिमा (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	7518.48	66.41
2.	सडक	3804.43	33.59
	कुल	11322.89	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा सूत्रों पर विचार विमर्श एवं प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित बातों के साथ ले-आउट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया-

- [illegible]

2111 ਮਰਡੀਸ਼ ਟੇ ਆਨ 1728 ਥੀ ਯਹੂਜਾ ਲੇ ਆਇ ਲਾਨ
ਥੀ ਦਿਨਾਂ 30/12/21 ਥੀ ਭਿਯਾ ਜਥੇ ਮੈਰਿਥੇ ਲਾਧਾਮਨ ਲੇ ਆਇ
ਲਾਨ ਲੇ ਮਿਲਾਨ ਥੀ ਭੁਯਾਥੀ ਥੀ ਲਾਲ ਟਾਈ ਲੇ ਮਾਇ ਆ ਲੇ ਡ
ਮਾਇ ਥੀ ਮੈਰਿਥੇ ਲਾਧਾਮਨ ਭਿਯਾ ਜਥਾ

शैतान सिंह
अ. निरीक्षक (उत्तर)

LEGEND		CULVERT		FENCING		TELEPHONE POLE/T.B.		KM STONE
		OPEN DRAIN		FIELD BOUNDARY		L.T. POLE / T.F.		FOOTPATH KHASRA LINE
		TEMPLE / MOSQUE		B.T. ROAD		LAMP POST/ROAD LIGHT		HAND PUMP KHASRA NO.
		HT LINE		BUILDINGS		ELECTRIC POLE/ EP BOX		TREE PLOT NO.
		KATCHA RASTA		RAILWAY LINE		WELL / BORING / W.T.		DRAIN SCHEME BOUNDARY

प्रमाणित करता हूँ कि, अधोमुख विद्या प्रौढिक विद्यालय
(प्रौढिक/यात्रा/संगीत/वीडियो/ऑडियो)

सविन काशी में अनुपम सुन्दरी का विद्यालय

क्र.सं.	सुन्दरी का विद्यालय	प्रमाणित संख्या
1	परी/ऑडियो/वीडियो	10
2	संगीत/वीडियो	10
3	संगीत/यात्रा	10
4	संगीत/प्रमाणित	10

ये सब अनुपम विद्यालय का नू. प्रमाणित विद्यालय

क्र.सं.	प्रमाणित संख्या	प्रमाणित संख्या
1	RECEIVED	10.10
2	COMMERCIAL	10.10
3	PAID AREA / PAID AREA / PAID AREA	10.10
4	OPEN AND NO. 10	10.10
5	RECEIVED	10.10

डेमीटोड सतहकण कर्म का नाम है। इसका डीएन सीटी संकेत मिले।

येजना की भुमि की सतहकण अतिथिमा की सतह कण (S) की कार्यकारी पर
 सीटी पर भुमि का प्रभाविकरण की द्वारा किया गया। येजना की सतहकण
 सीटी डीएन सीटी अतिथिमा की द्वारा निर्मित आदेश कणक... निराल... की
 सतह कण की किया जा चुका है।

मुम्बई महानगर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

योजना का नाम _____
खसत सख्या या रकबा KH NO. 1726 _____
नियमन क्षेत्र _____
कुल राजस्व क्षेत्रफल _____

प्राप्त/होकार प्राप्त
ले आउने पत्रले से सम्बन्धित प्रकरण से संबंधित
अनुसार पत्रलेको स्वीकृत
DRAWING NO. :-
पत्र: प्रमाण पत्र से प्राप्त सुविधा प्राप्त:-
[X] सुविधा प्राप्त:-
[] सुविधा प्राप्त:-
[] सुविधा प्राप्त:-
[] सुविधा प्राप्त:-

[illegible]

1. કાશ્મીરી
2. કાશ્મીરી
3. કાશ્મીરી

ग्रन्थ	हनुमत् चरितम्	अध्याय	तिस्रो अध्याय	पृष्ठ
विषय	हनुमत्	विषय	अष्टम	अष्टम अध्याय

SCALE: 1"=40' - 80' FEET
GREEN CITY SURVEYOR'S (P) LTD.
 303-304 JAGDISH ENCLAVE CIVIL LINE CIRCLE, HAWA SADAK, JAIPUR
 Ph. - 0229815890, 8714148500 E-mail: greencitysurveyor@gmail.com

AREA ANALYSIS

AREA ANALYSIS	AREA(SQ. MT.)	AREA(SQ. YD.)	%
LANDUSE			
RESIDENTIAL	30393.09	36349.82	65.19
FACILITY	1100.34	1316.00	2.36
BUFFER ZONE ALONG NALLAH/ PLANTATION BELT	1585.12	1895.79	3.40
ROAD	13542.61	16196.83	29.05
TOTAL AREA	48621.16	55758.44	100



SCALE: 1"=50'

BSF LAND ZLC Meeting Date 17/06/22
JDA/Dix(P)/North/06 Date 01/07/22

LAND ZLC Meeting Date 17/06/22 C/107/22

☐ Yes ☐ No	
☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No

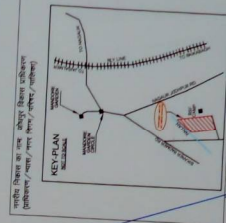
- [illegible]

Case	Age	Sex	Site	Pathologic	Survival	Notes
1	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
2	2	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
3	3	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
4	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
5	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
6	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
7	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
8	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
9	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
10	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
11	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
12	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
13	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
14	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
15	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
16	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
17	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
18	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
19	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
20	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
21	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
22	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
23	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
24	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
25	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
26	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
27	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
28	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
29	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
30	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
31	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
32	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
33	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
34	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
35	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
36	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
37	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
38	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
39	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
40	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
41	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
42	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
43	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
44	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
45	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
46	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
47	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
48	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
49	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
50	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
51	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
52	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
53	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
54	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
55	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
56	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
57	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
58	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
59	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
60	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
61	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I
62	4	F	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo	Stage I

19. *André Breton* è stato il più importante esponente del movimento surrealista. Il surrealismo si è sviluppato in Francia, in Italia e in Spagna. Il surrealismo ha influenzato la letteratura, la pittura e la musica. Il surrealismo ha influenzato la cultura del XX secolo.

प्राध्यापक
राजेश कुमार
अध्यक्ष शिक्षण
आयुष्य विकास प्राधिकरण

BSF LAND



क्र.सं.	संविधान के अन्तर्गत भूखण्डों का विवरण	भूखण्डों का विवरण	भूखण्ड संख्या
1	राज्य/राज्यीय भूखण्ड	143	
2	राज्य क्षेत्रीय भूखण्ड	09	
3	राज्यीय भूखण्ड	59	
4	कुल भूखण्ड	211	

II. વસ્તી		કોમ્પોઝિટ સ્કોર્સ	
1. પુરુષોની સંખ્યા	100	100	100
2. સ્ત્રીઓની સંખ્યા	100	100	100
3. કુલ વસ્તી	200	200	200
4. વસ્તીની ગીચતા (પ્રતિ ચો. કી.મી.)	100	100	100
5. વસ્તીની વૃદ્ધિ દર (પ્રતિ વર્ષ)	100	100	100
6. વસ્તીની જાણીતી વસ્તી	100	100	100
7. વસ્તીની અજાણી વસ્તી	100	100	100
8. વસ્તીની કુલ વસ્તી	200	200	200

१३ जून को, जहाँ से सफ़ाई के काम शुरू हुआ, वहाँ से सफ़ाई के काम शुरू हुआ।
 सफ़ाई के काम शुरू हुआ, वहाँ से सफ़ाई के काम शुरू हुआ।

1. उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 243,100 वर्ग कि.मी. है।
 2. उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 199,959,529 है।
 3. उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है।
 4. उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश्वर प्रसाद यादव हैं।



1. What is the purpose of the study?
 The purpose of the study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.

2. What is the research design?
 The research design is a quantitative, experimental design.

3. What is the sample size?
 The sample size is 100.

4. What is the data collection method?
 The data collection method is a survey.

5. What is the data analysis method?
 The data analysis method is a statistical analysis.

6. What is the conclusion?
 The conclusion is that the independent variable has a significant effect on the dependent variable.

SCALE 1 INCH = 20 FEET					
	area	cubic	weight	notes	remarks
GREEN CITY SURVEYOR'S (P) LTD.					
JAGDISH ENCLAVE CIVIL LINE CIRCLE KURMA SADAM JALPAIGIRI DISTRICT					
INDIA - 701148 KOLKATA					

[illegible]

22/01/22
शैतान सिंह
अ. निर्देशक (आर)

[illegible]